न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः—23/19 दिनांकः—04.10.2019

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र शैतानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सदीनसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.............वादी

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
2. पटवारी हल्का पटवार क्षेत्र तिहावली।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा व संशोधन खाता सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट

—:निर्णयः—

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की आराजी खसरा संख्या 138 रकबा 6.1500 है. वाके ग्राम सदीनसर पटवार हल्का क्षेत्र तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, जिसमें वादी 1/4 हिस्से का खातेदार स्वामी है।

उपरोक्त खसरा संख्या 138 जिसका नया खाता संख्या 47 व पुराना खाता संख्या 46 है, का पूर्व में खाता वादी के पूर्वज के नाम से था, जिसका नामान्तरण करते समय वादी का नाम सहवन से सहीराम पुत्र शैतानाराम दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।

वादी को उसके राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दिनांक 13.05.2019 को जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया लेकिन वादी का नाम संशोधित नहीं हो पाने के कारण वादी द्वारा यह वाद पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, बैंक पास बुक इत्यादि में वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शैतानाराम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सहीराम पुत्र शैतानाराम दर्ज है जिसके कारण वादी को कई कृषक सम्बन्धी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिये वादी अपना सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शैतानाराम राजस्व रिकॉर्ड में उद्घोषित व संशोधित करवाने का अधिकारी है।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर उद्घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 138 खाता संख्या 47 नया, पुराना 46 वाके ग्राम सदीनसर की खातेदार में वादी का नाम सहीराम पुत्र शैतानाराम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र शैतानाराम संशोधित कर दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र पी.डब्लू 01 पेश किया तथा दस्तावेज प्रदर्श 01—प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074—77 खसरा संख्या 138 वाके ग्राम सदीनसर, प्रदर्श 02ए—वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 03ए— भामाशाह कार्ड, प्रदर्श 04ए— पासपोर्ट, प्रदर्श 05ए— गैस कनेक्शन की पास बुक, प्रदर्श 06ए— बैंक ऑफ बड़ौदा की पास बुक, 07ए— राशन कार्ड आदि दस्तावेजात पेश कियें।

बहस में वकील वादी द्वारा जमाबंदी में सहीराम के स्थान पर सुरेंद्र कुमार पुत्र शैतानाराम का नाम अंकन करने का व डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया ।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। वादी का क्लेम निम्न कारणो से पुष्ट होना नहीं पाया जाता है।

1. वादी द्वारा पेश प्रदर्श–1 जमाबंदी 2074–77 में खसरा नंबर 138 में सहीराम पुत्र शैतानाराम का नाम अंकित है। वादी द्वारा अन्य सहखातेदारो को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा पूर्व की जमाबंदी भी दावे में पेश नहीं की गई है, जिससे वादी का क्लेम पुष्ट हो कि भूमि विरासत से या फिर विक्रय से प्राप्त हुई है और न ही अन्य कोई भूमिं से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये गए है।
2. तहसीलदार ने बिना किसी रिकार्डेड दस्तावेजों के सहमति प्रदान की है, चूंकि अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए तहसीलदार की सहमति का कोई औचित्य नहीं है।
3. वादी के कथनो को पुष्ट करने बाबत स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिससे क्लेम साबित नहीं होता है। पूर्व विवेचनानुसार अभिलेख के साथ हम उम्र के रिश्तेदार/स्वतंत्र गवाहन प्रस्तुत किया जाना जरूरी था ताकि वादी के क्लेम की पुष्टि हो सके।
4. वादी द्वारा प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2074–77 के इन्द्राज व अन्य साक्ष्यों प्रदर्श 2ए ता 7ए, मौखिक साक्ष्य द्वारा एक ही व्यक्ति के दो नाम प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः सहीराम व सुरेन्द्र कुमार को एक ही व्यक्ति नही माना जा सकता है। वाद वादी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः आदेश है कि वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner